

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी:-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या:- 337/2025

मखन पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

--वादी

**बनाम्**

- 1 गंगूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 2 मंगू पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 3 कृष्ण पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 4 रवि पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 5 सुमन देवी पत्नी राकेश पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 6 निशा पुत्री राकेश पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 7 सुमन पत्नी श्री विजय पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 8 पायल पुत्री श्री विजय पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन पत्नी श्री विजय
- 9 पिकी पुत्री श्री विजय पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन पत्नी श्री विजय
- 10 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

--प्रतिवादीगण

**उपस्थित :-**

- 1 श्री खुशप्रीत सिंह अधिवक्ता - वादी
- 2 श्री शमशेर सिंह अधिवक्ता - प्रतिवादी सं. 1 ता 9
- 3 राजपैरोकार - प्रतिवादी सं. 10

**--निर्णय:-**

दिनांक .....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि गुनिया पुत्र जीवन व फुली पत्नी गुनिया के नाम चक 20 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 12/8, खाता गुनिया आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 83/218 (31) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025, 8 से 13, 18/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 3.036 हैक्टेयर आराजी बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि खातेदार काश्तकार गुनिया उर्फ गणेशा पुत्र जीवन की दिनांक 04.05.2007 व फुली पत्नी गुनिया की दिनांक 08.04.2006 को मृत्यु हो चुकी है तथा मृत्यु उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 व धाई, कम्मो पुत्री गुनिया उर्फ गणेशा (धुली), कृष्णा पुत्री बखुराम, मानसी पुत्री राकेश, रोहित पुत्र राकेश, अमन पुत्र विजय ही जायज व कानूनी वारिसान है जिसमें से धाई, कम्मो पुत्री गुनिया उर्फ गणेशा (धुली) द्वारा जरिये पंजीकृत हक त्याग दिनांक 16.05.2025 अपने को अपने पिता गुनिया उर्फ गणेशा व फुली से प्राप्त होने वाले विरास्तन हक हिस्से का परित्याग गंगुराम व बखुराम के वारिसान के नाम किया हुआ है तथा कृष्णा पुत्री बखुराम द्वारा जरिये पंजीकृत हक त्याग दिनांक 16.05.2025 अपने को अपने पिता बखुराम से प्राप्त होने वाले हक हिस्से का परित्याग मंगु, मंखन, कृष्ण कुमार, रवि, सुमन देवी, सुमन के पक्ष में किया हुआ है तथा मानसी व रोहित पिसरान राकेश द्वारा जरिये पंजीकृत हक त्याग दिनांक 21.05.2025 अपने को अपने पिता राकेश से प्राप्त होने वाले हक हिस्से का परित्याग सुमन देवी के पक्ष में किया हुआ है। अमन पुत्र विजय द्वारा जरिये पंजीकृत हक त्याग दिनांक 21.05.2025 अपने को अपने पिता विजय से प्राप्त होने वाले हक हिस्से का परित्याग सुमन देवी के पक्ष में किया हुआ है जिसके बाद मुताबिक विरास्तन हक हिस्सा व हक त्याग के अनुसरण में गुनिया उर्फ गणेशा व फुली के नाम दर्ज 3.036 हैक्टेयर आराजी में वादी मखन (.253 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 1 गंगुराम (1.518 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 2 मंगू (.253 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 3 कृष्ण (.253 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 4 रवि (.253 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 5 सुमन देवी (.190 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 6 निशा (.063 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 7 सुमन (.127 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 8 पायल (.063 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 9 पिकी (.063 हैक्टेयर) आराजी की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि वादी मुताबिक विरास्तन हक हिस्सा व पंजीकृत हक त्याग दिनांक 16.05.2025 व 21.05.2025 कुल .253 हैक्टेयर आराजी की घोषणा वाद पत्र की मद संख्या 3 के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा घोषणा उपरान्त घोषणा में प्राप्त .253 हैक्टेयर आराजी का राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर अपना खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि वादीगण के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि मोतीराम के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ का लाभ लेने से व रहन बैय आदि की सुविधा प्राप्त करने से वंचित हो रहे है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता सांझा होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर बट, सीव व रकमराज को लेकर विवाद रहता है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि विरास्तन व पंजीकृत हक त्याग में वर्णितानुसार कृषि भूमि की घोषणा करवाकर अच्छी मन्दी भूमि तथा खाला रास्ता की सुविधा के अनुसार खाता विभाजन करवाकर रकमराज अलग कायम करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 10 भू-धारक होने के कारण उक्त वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :-

(क) कि चक 20 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 12/8, खाता गुनिया आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 में दर्ज कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि में विरास्तन व पंजीकृत हक त्याग के आधार पर .253 हैक्टेयर आराजी की घोषणा किये जाने तथा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता शमशेर सिंह उपस्थित व जवाबदावा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की ओर से वाद पत्र में राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 8, 9 जरिये कुदरती वली माता उपस्थित। तहसीलदार की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### **-:क्रियात्मक आदेश:-**

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 20 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 12/8 में हिस्सा वादी मखन (.2575 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 2 मंगू (.2575 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 3 कृष्ण (.2575 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 4 रवि (.2575 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 5 सुमन देवी (.193 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 6 निशा (.064 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 7 सुमन (.129 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 8 पायल (.064 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 9 पिकी (.064 हैक्टेयर) प.न. 83/218 मु.न. 31 कि.न. 1/1/.013 उत्तर ओर, 2/1/.013 उत्तर ओर, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025, 8, 13, 18/.253 प्रत्येक, कुल 1.544 हैक्टेयर आराजी। हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 गंगूराम- प.न. 83/218 मु.न. 31 कि.न. 1/1/.215 दक्षिण ओर, 1/2/.025, 2/1/.215 दक्षिण ओर, 2/2/.025, 9 ता 12/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 1.492 हैक्टेयर आराजी। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काशतकार की कब्जाकाशत हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

प्रकरण संख्या:- 337/2025

मखन पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

--:वादी

बनाम्

- 1 गंगूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 2 मंगू पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 3 कृष्ण पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 4 रवि पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 5 सुमन देवी पत्नी राकेश पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 6 निशा पुत्री राकेश पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 7 सुमन पत्नी श्री विजय पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 8 पायल पुत्री श्री विजय पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन पत्नी श्री विजय
- 9 पिकी पुत्री श्री विजय पुत्र श्री बखूराम पुत्र श्री गुनिया उर्फ गणेशा जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन पत्नी श्री विजय
- 10 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

--:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 48 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री शमशेर सिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है कि:- चक 20 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 12/8 में हिस्सा वादी मखन (.2575 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 2 मंगू (.2575 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 3 कृष्ण (.2575 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 4 रवि (.2575 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 5 सुमन देवी (.193 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 6 निशा (.064 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 7 सुमन (.129 हैक्टेयर),

प्रतिवादी संख्या 8 पायल (.064 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 9 पिकी (.064 हैक्टेयर) प.न. 83/218 मु.न. 31 कि.न. 1/1/.013 उत्तर ओर, 2/1/.013 उत्तर ओर, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025, 8, 13, 18/.253 प्रत्येक, कुल 1.544 हैक्टेयर आराजी। हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 गंगूराम- प.न. 83/218 मु.न. 31 कि.न. 1/1/.215 दक्षिण ओर, 1/2/.025, 2/1/.215 दक्षिण ओर, 2/2/.025, 9 ता 12/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 1.492 हैक्टेयर आराजी। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जाकिया गया।  
नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो, तो बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावे।

(मांगी लाल) RAS  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ